

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक १४२/1249/2021/38-3

भोपाल, दिनांक 24/08/2021

प्रति,

कुलसचिव

1. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।


विषय- विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) अंतर्गत COE कार्य की समयावधि में वृद्धि के संबंध में।

- संदर्भ- 1. विभागीय पत्र क्रमांक 970/107/रूसा/सीसी/2019-38 दिनांक 28.11.2019  
2. विभागीय पत्र क्रमांक 503/15/रूसा/सीसी/38/2020 दिनांक 24.09.2020

---0---

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि उक्त कार्य हेतु स्वीकृति का उपयोग वर्ष दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में COE के विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालयों को नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए विश्वविद्यालयीन मद से व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना अंतर्गत बजट आवंटन प्राप्त होने के पश्चात व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने की शर्त का उल्लेख भी किया गया था।

2/ विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) की समयावधि आगामी 06 माह (फरवरी- 2022) तक बढ़ाये जाने के अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में COE हेतु विभिन्न कार्यों की समयावधि में फरवरी-2022 तक की वृद्धि पूर्व में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप की जाती है।

  
(वीरन सिंह भलावी)  
अवर सचिव


म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 24/08/2021

पृ0क्र0 १४३/1249/2021/38-3

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
3. कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर/ बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल/ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विश्व बैंक परियोजना, भोपाल।

  
अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग